न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 06/2010
रजिस्ट्रेशन सं0 :— 2010/00013

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल, जरिये जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ
(सायल)

बनाम

धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र हेमराज सिंह राजपूत निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :— 1— सहायक लोक अभियोजक (सायल)
2— श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 08.08.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र हेमराज सिंह राजपूत निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल जिला बारां के विरूद्ध थानाधिकारी मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्व थाना मांगरोल में वर्ष 2001 से 2007 तक की अवधि में कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 341 323 34 आई.पी.सी., 147 148 149 447 323 आई.पी.सी. एवं 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। अधिकांश प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल [illegible] सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न [illegible] को अधिकांश प्रकरणों [illegible] यालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह [illegible] ण्डा की परिभाषा में [illegible]। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया

जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 15.09.2010 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत करते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। गैरसायल के द्वारा प्रकरण में जवाब दिनांक 14.11.2010 प्रस्तुत कर, कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। थाना मांगरोल से गैरसायल के वर्तमान चालचलन की रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस सहायक लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 1997 से 2020 तक की अवधि में कुल 22 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 341 323 34 आई.पी.सी., 147 148 149 447 323 आई.पी.सी., 498 306 आई.पी.सी. एवं 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। थानाधिकारी मांगरोल से प्राप्त चरित्र रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022 के अनुसार गैरसायल के विरूद्व वर्ष 1997 से 2020 तक की अवधि में 22 आपराधिक प्रकरण उक्त धाराओं के तहत दर्ज हुए हैं। जिनमें से भी 18 प्रकरणों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 1997 से 2020 तक की अवधि में कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से अधिकांश प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से भी 18 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय द्वारा सजायाब हो चुका है। वर्तमान में गैरसायल के विरूद्व गत 2 वर्ष से अधिक समय से कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना, मांगरोल द्वारा गुण्डा एक्ट की इस न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 1997 से 2020 तक की अवधि में कुल 22 आपराधिक प्रकरण विभिन्न धारा[illegible] से 18 प्रकरणों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। तथा वर्तमान में [illegible] प्रक[illegible] लम्बित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट बारां

अतः उक्त समस्त त[illegible] से साबित होता है कि धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र हेमराज सिंह राजपूत निवासी मांगरोल, तहसील [illegible]रोल, जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना

पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र हेमराज सिंह राजपूत निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत थाना क्षेत्र मांगरोल, जिला बारां से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र हेमराज सिंह राजपूत निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारां क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, बोरखेड़ा जिला कोटा (ग्रामीण) को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 01.09.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीर जिला मजिस्ट्रेट, कोटा/जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/कोटा शहर एवं कोटा ग्रामीण थानाधिकारी पुलिस थाना बोरखेड़ा जिला कोटा (ग्रामीण) एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारां को भिजवायी जावे। थानाधिकारी मांगरोल, जिला बारां को निर्देशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बोरखेड़ा जिला कोटा (ग्रामीण) के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested